न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई

(पीठासीन अधिकारीः रामकरण सिंह, आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0————6/2014 (नवीन प्रकरण सं0201/25)
प्रविष्टि दिनांक ———22.01.14 (नवीन प्रविष्टि दिनांक सं0201/25)

1. देवालाल पुत्र किशना जाति बैरवा निवासी ग्राम डांगरथल तहसील निवाई जिला टोंक।

वादीगण.....

बनाम

~~1. रामनारायण पुत्र किशना जाति बैरवा निवासी डांगरथल तहसील निवाई जिला टोंक राज.~~
दौराने दावा मृतक

1/1 कानाराम पुत्र रामनारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम डांगरथल निवासी तहसील निवाई जिला टोंक राज.
1/2 हंसा पुत्री रामनारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम डांगरथल निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज0
1/3 पदमा पुत्री रामनारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम डांगरथल निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज.
1/4 सूजा देवी पत्नी रामनारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम डांगरथल तहसील निवाई जिला टोंक राज0
2. एसबीबीजे बैंक शाखा तहसील निवाई जिला टोंक राज0
3. तहसीलदार निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज0
4. उपपंजीयक महोदय निवाई जिला टोंक राज0

प्रतिवादीगण.....

उपस्थित :– श्री अबरार अहमद, अधिवक्ता वादी की ओर से।
श्री गिरधर सिंह तंवर, अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

दावा :–बाबत् तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक– 15/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा एक वाद पत्र जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार वादी व प्रतिवादीगण सगे मां जाये भाई हैं, उनकी सामलाती कृषि भूमि खाता सं0 701 में ख0नं0 79/2 रकबा 4 बीघा, ख0नं0 79/3 रकबा 5 बीघा 10 बीस्वा, खाता सं0 702 में ख0नं0 80/1/4 रकबा 4 बीघा 10 बीस्वा, ख0नं0 542/46 रकबा 04 बीस्वा, ख0नं0 561 रकबा 03 बीघा 5 बीस्वा वाके ग्राम डांगरथल तहसील निवाई में स्थित है। ख0नं0 561 में 02 कुएं बने हुये हैं, उसमें अब 01 कुंआ बुर गया है। एक चालू है, इसलिए इस रकबे का शीट में 561/1 व 561/2 प्रर्शित है। वादी व प्रतिवादी नं0 1 ने अपने आराजियात को अरसा करीब 15–20 वर्ष पहले आपस में सहमति से विभाजित कर अलग–अलग भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया था आरे उसी अनुसार काश्त करते आ रहे हैं। यह है कि प्रार्थी गरीब आदमी है, उसके अनुपस्थिति का लाभ उठाकर प्रतिवादी सं0 1 अपनी पत्नी पुत्री व पुत्रों की सहायता से वादी के हिस्से में आई भूमि ख0नं0 561 में मकान बनाने पर आमादा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने मौके पर बजरी चुना वगैरह डलवा लिया है। तथा वादी के साथ मारपीट करने पर आमादा हो गये। प्रतिवादी के मन में बदनियती आ गई है। वह वादी की अधिक भूमि पर कब्जा कर उसकी जमीन हथियाना चाहता है। इसलिए वादी उक्त जमीन का विधिवत बंटवारा कराना चाहता है, जो आवश्यक एवं न्यायसंगत है। यदि विधिवत तकासमा नहीं होता है तो पक्षकारों में विवाद बढेंगे एंव लडाई झगडे होंगे। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र के चरण सं0 1 में वर्णित आराजियात का पक्षकारों में समान रूप से विधिवत बंटवारा किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

प्रकरण मे वाद पत्र के साथ जमाबंदी संवत 2066–2069, प्रस्तुत किया जिनकी छायाप्रति शामिल पत्रावली है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गिरधर सिंह तंवर ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादपत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजियात के अलावा वादी, प्रतिवादी की खातेदारी कृषि भूमि खाता सं0 672 में वर्णित ख0नं0 कुल किता 11 कुल रकबा 11 बीघा 03 बीस्वा, जिसमें प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा 1/6 है एवं वादी का हिस्सा 1/6 है वो भी ग्राम डांगरथल में स्थित है। वादपत्र के चरण सं0 2 के अनुसार ख0नं0 560/1, 561/1, 561/2 में कुंए स्थित है। वादपत्र के मद सं0 3 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। कब्जा काश्त के अनुसार या बिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तकासमा किये जाने में प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है। तत्पश्चात पत्रावली में दिनांक 23.01.17 को उभयपक्ष की सहमति से वाद मौके पर कब्जे व हिस्से अनुसार प्राथमिक डिक्री किया गया। पत्रावली के संबंध में तहसीलदार निवाई से प्राथमिक डिक्री की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर मय नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत की गई जिसकी छायाप्रति शामिल पत्रावली है।

पत्रावली के संबंध में दिनांक 17.04.25 को प्रतिवादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया, जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये निवेदन किया की माननीय न्यायालय में एक प्रकरण बउनवानी देवालाल बनाम रामनारायण प्रकरण संख्या 06/2014 दिनांक 22.01.2014 से दर्ज होकर जैरकार है। प्रकरण को दिनांक 05.01.2017 को प्राथमिक डिक्री फरमाया जा चुका है। जिसकी पालना में तहसीलदार निवाई से पी0डी0 रिपोर्ट प्राप्त होकर, बहस अंतिम सुनी जा चुकी है तथा पत्रावली फरवरी 2024 निर्णय में जैरकार है लेकिन माननीय न्यायालय के पेशी रजिस्टर में उक्त वर्णित पत्रावली का अंकन फरवरी 2024 से नहीं हो रहा है जिससे पत्रावली में आगे कि सुनवाई संभव नहीं हो पा रही है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दावा की छायाप्रति को द्वितीय वाद प्रति (साक्ष्य) के रूप में पूर्व में दर्ज नम्बर पर दर्ज कर दावे में आगे की कार्यवाही/आदेश फरमाने की कृपा करे। तथा प्रतिवादी सं0 1 रामनारायण पुत्र किशना की मृत्यु दिनांक 29.05.2024 को हो चुकी है जिनके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रा0 पत्र कायम मुकाम प्रस्तुत करवाने का निवेदन किया। प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी एवं संलग्न दस्तावेजात दावा, जवाब दावा, नोटीस, ऑर्डर शीट तथा पीडी रिपोर्ट की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी को आवाज लगाई गई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र एवं दावा की छायाप्रति को द्वितीय वाद प्रति (साक्ष्य) के रूप में पूर्व में दर्ज नम्बर पर दर्ज कर प्रकरण में आगे कि सुनवाई पूर्ववत करने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली की आर्डरशीट पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण की सहमति के हस्ताक्षर करवाये गये। अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी एवं दावा की छायाप्रति को द्वितीय वाद प्रति (साक्ष्य) के रूप में पूर्व में दर्ज नम्बर 06/14 एवं नवीन दर्ज नंबर 201/25 पर दर्ज किया गया। तथा मूल पत्रावली की तलाश जारी रखने एवं मूल पत्रावली मिल जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात ऑर्डरशीट के मूल पत्रावली में शामिल किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। तथा अधिवक्ता वादी को प्रार्थना पत्र कायम मुकाम पेश करने हेतु आदेशित किया गया। अधिवक्ता वादी ने प्रा0पत्र 0–22–R-4 CPC पेश किया जिसको दोनों अधिवक्ताओं की सहमति से स्वीकार किया गया। संशोधित शीर्षक प्राप्त, जो शामिल पत्रावली है। वारिसान की ओर से अधिवक्ता श्री गिरधर सिंह तंवर एवं रवि प्रकाश पारीक ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

विद्धान अभिभाषकगण की बहस अन्तिम सुनी गई। अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी ने तहसीलदार निवाई से प्राप्त एवं पत्रावली में उपलब्ध पीडी रिपोर्ट की छायाप्रति अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादग्रस्त आराजियात का तकासमा किये जाने पर सहमति जाहिर की।

प्रकरण पर उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी मे है और वादी व प्रतिवादीगण, उक्त भूमि के सहखातेदार है जो अपने हिस्से अनुसार उक्त भूमि का तकासमा कराने का अधिकारी है। संयुक्त भूमि के रहते विवादो मे बढोतरी की संभावनाए को दृष्टिगत रखते हुए तथा अपनी खातेदारी की भूमि का उचित नियमानुसार प्रयोग करने हेतु भूमि का विधिवत राजस्व रिकार्ड अनुसार तकासमा किया जाना न्यायोचित है। तथा अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण विवादग्रस्त आराजियात का तहसीलदार निवाई से प्राप्त पीडी रिपोर्ट अनुसार तकासमा करवाने हेतु सहमत है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत वाद बाबत् तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा, तकासमा की हद तक स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

आदेश

अतः वाद वादीगण बाबत् तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा खाता सं0 701 में ख0नं0 79/2 रकबा 4 बीघा, ख0नं0 79/3 रकबा 5 बीघा 10 बीस्वा, खाता सं0 702 में ख0नं0 80/4 रकवा 4 बीघा 10 बीस्वा, ख0नं0 542/46 रकबा 04 बीस्वा, ख0नं0 561 रकबा 03 बीघा 5 बीस्वा वाके ग्राम डांगरथल तहसील निवाई जिला टोंक को तकासमा की हद तक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि वाद वर्णित उपरोक्त आराजियात का प्रस्तावित पीडी रिपोर्ट अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पृथक–पृथक राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें।

जमाबंदी संवत 2070–73,	**खसरा न0 79/2, 79/3, 542/46, 561, 80/4**	
क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.न. / रकबा
1	देवालाल पुत्र किशना जाति बैरवा निवासी डांगरथल सा0 देह खातेदार राहिन ओरियनंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा डांगरथल	79/2/2 — 0.5059 है0 79/3/1 — 0.6954 है0 542/46/2 — 0.0253 है0 80/4/2 — 0.5691 है0 561/1 — 0.0311 है0 561/4 — 0.3700 है0
	योग	किता–06 — 2.1968 है0
2	1.0 ~~रामनारायण पुत्र किशना जाति बैरवा निवासी डांगरथल, तहसील निवाई जिला टोंक।~~ दौराने दावा मृतक 1.1 कानाराम पुत्र रामनारायण 1.2 हंसा पुत्री रामनारायण 1.3 पदमा पुत्री रामनारायण 1.4 सूजादेवी पत्नी रामनारायण जाति बैरवा सा0 देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा निवाई	79/2/1 — 0.5058 है0 79/3/2 — 0.6957 है0 542/46/1 — 0.0253 है0 80/4/1 — 0.4191 है0 80/4/3 — 0.1500 है0 561/2 — 0.4009 है0
	योग	किता–06 — 2.1968 है0
3	सामलाति बदस्तूर	561/3 — 0.02 है0

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक मीज़ान	शून्य	शून्य	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक मीज़ान	शून्य	शून्य

अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15/10/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रामकरण सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई